राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

आबकारी निगरानी संख्या – 588/2015/जयपुर

के.के.रॉयल(यूनिट ऑफ के.के.रिट्रीट प्रा0लि0),फूलबारी, आमेर रोड़, जयपुर ...... निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1.आयुक्त आबकारी, राजस्थान, उदयपुर
2.जिला आबकारी अधिकारी, वित्त भवन,जनपथ,जयपुर ....अप्रार्थीगण

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा, अध्यक्ष

श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

उपस्थित : :

श्री वैभव कासलीवाल, अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक :– 01.10.2015

निर्णय

निगरानीकर्ता(प्रार्थी)द्वारा यह आबकारी निगरानी राजस्थान आबकारी अधिनियम,1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9 (ए)(1) के अन्तर्गत आबकारी आयुक्त, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 27/14, क्रमांक प. 29(बी)(27)अपील/अभि./.आब./2014 दिनांक 27.02.2015 को निर्णय पारित किया गया, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं प्रार्थी की होटल चार सितारा श्रेणी में वर्गीकृत होकर दिनांक 12.6.2007 से 11.6.2012 तक संचालित थी तथा 4 सितारा श्रेणी की फीस अदा करते हुए होटल का संचालन किया गया था इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा 3 सितारा होटल की फीस अदा करते हुए, लाईसेंस का नवीनीकरण वर्ष 2014–15 के लिए चाहा गया। जिस पर जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर द्वारा उनके पत्र दिनांक 23.4.2014 से होटल 4 सितारा श्रेणी में होने के कारण व वर्ष 2013–14 के लिए भी 4 सितारा श्रेणी के हिसाब से फीस अदा करने पर लाईसेंस नवीनीकृत किया गया। इसलिए वर्ष 2014–15 के लाईसेंस नवीनीकरण के लिए चार सितारा होटल श्रेणी की निर्धारित अंतर फीस जमा कराने हेतु प्रार्थी को दिनांक 23.4.2014 से पत्र जारी किया। प्रार्थी ने इस निर्देश से व्यथित होकर आबकारी आयुक्त के समक्ष वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु जमा कराई गई रू0 5.00 लाख की अतिरिक्त लाईसेंस शुल्क की राशि को प्रार्थी होटल को वापस दिलवाये जाने के अथवा आगामी वर्षों में समायोजित करवाये जाने की चुनौति दी। आबकारी आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 27.02.2015 द्वारा प्रार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पेश की गई है।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिजम

1-10-2015 .372

लगातार.........2

गर्वन्मेंट ऑफ इण्डिया द्वारा प्रार्थी होटल को 4 सितारा होटल की मान्यता दिनांक 12.6.2007 से 11.6.2012 तक प्रदान की गई। तत्पश्तात मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिजम गर्वन्मेंट ऑफ इण्डिया के समक्ष प्रार्थी द्वारा 4 सितारा श्रेणी निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। इस कारण दिनांक 12.6.2012 से प्रार्थी का होटल 4 सितारा श्रेणी का नही है। इस कारण प्रार्थी होटल को 4 सितारा मानकर वर्ष 2013–14 व 2014–15 हेतु जमा करायी गई रू0 5.00 लाख की अतिरिक्त लाईसेंस शुल्क प्रार्थी को दिलवायी जावे तथा वर्ष 2015–16 हेतु भी 4 सितारा श्रेणी अनुसार रू0 10.00 लाख की लाईसेंस की राशि जमा करायी गयी है जिसमें भी रू0 2.50 लाख अतिरिक्त जमा करा दिये गये थे वो भी वापिस दिलवाया जावे तथा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.02.2015 के द्वारा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रार्थी होटल से 4 सितारा श्रेणी का लाईसेंस शुल्क जमा कराये जाने के आदेश को उचित ठहराये जाने के आदेश को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित क्राफट्स पेलेस होटल्स(इण्डिया) प्रा0लि0 बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 08.10.2014 व राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक एफ.4(1) एफडी/एक्साईज/2011 दिनांक 31.01.2012 पेश किया।

इसके विरोध में अप्रार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी का होटल 4 सितारा श्रेणी का था तथा दिनांक 12.6.2007 से 11.6.1012 तक 4 सितारा श्रेणी का होटल की मान्यता प्रार्थी को मिली थी तथा 4 सितारा श्रेणी होटल के अनुरूप आबकारी लाईसेंस शुल्क प्रार्थी द्वारा जमा करवाया जाता रहा था। दिनांक 11.6.2012 के पश्चात प्रार्थी ने आबकारी लाईसेंस के शुल्क से बचने के उद्धेश्य से आगे सितारा श्रेणी के लिए आवेदन नहीं किया लेकिन प्रार्थी का होटल 4 सितारा श्रेणी का नहीं हो या 2012 के पश्चात 4 सितारा श्रेणी होटल के मापदण्डों के अनुरूप प्रार्थी का होटल नहीं हो या नहीं रहा हो। इस बाबत प्रार्थी ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिजम गर्वन्मेंट ऑफ इण्डिया में आवेदन पेश नहीं किया। प्रार्थी होटल का 4 सितारा श्रेणी का पूरा प्रचार–प्रसार हो जाने के पश्चात ट्यूरिस्ट आने शुरू हो गये तथा 4 सितारा श्रेणी की होटल की सुविधाओं में बिना कोई कमी किये 4 सितारा होटल का नवीनीकरण कराये जाने हेतु प्रार्थी ने शुल्क की चोरी करने के कारण पेश नहीं किया। अतः निगरानी खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। निगरानीकर्ता ने निगरानी के मद संख्या 10 में लिखा है कि :–

यह कि आबकारी एवं मद्य संयत नीति वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 तथा आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2014–15 के क्लॉज 3.1.1 एवं 3.1.3 के अनुसार यदि कोई होटल दो–सितारा अथवा बिना किसी सितारा श्रेणी का होगा तो उस होटल को वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 हेतु राशि 7.5. लाख रू0 बेसिक लाईसेंस

1-10-2015 – 392

लगातार.........3

फीस एवं 50.000/–रू0 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस, कुल 8.0 लाख रू0 जमा करवाये जाने का प्रावधान था।

क्लॉज 3.1–विभिन्न रेणी की होटलों/लग्जरी ट्रेन के बार लाईसेंस हेतु वर्ष 2012–13 के लिये लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

3.1.1. सितारा होटल/लग्जरी ट्रेनः

वर्ष 2012–13 में सितारा होटल के लिये लाईसेंस फीस निम्नानुसार की जाती है:–

क्र. सं.	श्रेणी	लाईसेंस फीस वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस		
			बेसिक लाईसेंस फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम 4 व 5 का योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	पॉच सितारा होटल	15.00	15.00	0.50	15.50
2	चार सितारा होटल	10.00	10.00	0.50	10.50
3	तीन सितार होटल	8.00	8.00	0.50	8.50
4	लग्जरी ट्रेन	8.00	8.00	0.50	8.50

3.1.3 अन्य होटलः

अन्य श्रेणी के होटलों में बार लाईसेंस हेतु वार्षिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र. सं.	श्रेणी	लाईसेंस फीस वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाईसेंस फीस		
			बेसिक लाईसेंस फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम 4 व 5 का योग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	वे होटल जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीय सीमा के 5 कि.मी. सीमा में स्थित हो				
	(अ)जयपुर/जोधपुर	7.50	7.50	0.50	8.00
	(ब)अन्य संभाग मुख्यालय,माउण्ट आबू एवं जैसलमेर	6.50	6.50	0.50	7.00
	(स) अन्य जिला मुख्यालय	5.50	5.50	0.50	4.50
	(द) अन्य नगरपालिका एवं भिवाड़ी	4.00	4.00	0.50	4.50
2	अन्य वे होटल जो उपरोक्त अ स द स्थानों में शामिलनही	3.00	3.00	0.50	3.50

चूँकि निगरानीकर्ता की होटल 4 सितारा श्रेणी में वर्गीकृत होंकर दिनांक 12.6.2007 से 11.6.2012 तक संचालित थी। उक्त अवधी में प्रार्थी ने 4 सितारा

.२१२

1-10-2015

लगातार........4

होटल की फीस अदा करते हुए होटल का संचालन किया था तथा प्रार्थी का होटल 4 सितारा श्रेणी होटल के मापदण्डों का होने से मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिजम गर्वन्मेंट ऑफ इण्डिया द्वारा प्रार्थी होटल को 4 सितारा श्रेणी की मान्यता दिनांक 12.6.2007 से 11.6.2012 तक के लिए प्रदान की गई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रार्थी की होटल 4 सितारा श्रेणी होटल की सभी सुविधाए होने से तथा 4 सितारा श्रेणी होटल के मापदण्डों के खरा उतरने से उसे 4 सितारा होटल की श्रेणी दी गई थी। दिनांक 11.6.2012 के पश्चात प्रार्थी की होटल में कोई सुविधा कम कर दी गई हो या स्वीमिंग पूल बंद कर दिया हो या कुछ कमरे तोड कर हटा लिये गये हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी का होटल दिनांक11.6.2012 के पश्चात 4 सितारा श्रेणी का नहीं रह गया हो, ऐसा कोई कारण लिखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिजम गर्वन्मेंट ऑफ इण्डिया ने प्रार्थना पत्र पेश किया हो व उक्त विभाग ने प्रार्थी की होटल देखकर 4 सितारा श्रेणी का नहीं माना हो, यह भी प्रार्थी निगरानीकर्ता ने नहीं बताया है। दिनांक 11.6.2012 के पश्चात मात्र नेट पर 4 सितारा के रूप में प्रार्थी द्वारा प्रचार नहीं करने मात्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि दिनांक 11.6.2012 के पश्चात प्रार्थी का होटल 4 सितारा श्रेणी के मापदण्डों का नहीं रहा हो या उसमें 4 सितारा श्रेणी होटल की सुविधा में कोई कटौति कर दी गई हो। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ4(एफडी/एक्साईज/2011 दिनांक 31.01.2012 के नियम 2 के **(aaa) "Category" means star category as adjudged by the department of Tourism,Government of India, or ay other authority authorized specially for this purpose by the government of India;"** । उक्त परिपत्र को देखने से स्पष्ट होता है कि किस केटेगरी का होटल है। इसका निर्धारण भारत सरकार का ट्यूरिजम विभाग तय करेगा या भारत सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य आथोरिटी। चूँकि प्रार्थी के होटल को 4 सितारा होटल माना था तथा 4 सितारा श्रेणी होटल के रूप में नियत आबकारी लाईसेंस भी प्रार्थी ने लिया था। इस कारण स्पष्ट है कि प्रार्थी का होटल 4 सितारा होटल की श्रेणी का है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने जो उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त पेश किया है उसमें प्रार्थी के होटल को मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिजम गर्वन्मेंट ऑफ इण्डिया द्वारा आदेश दिनांक 12.11.2012 से 5 श्रेणी की बजाय 4 श्रेणी का मान लिया था लेकिन इस प्रकरण में प्रार्थी का होटल 4 सितारा श्रेणी का नहीं रह गया हो ऐसा कोई आदेश मिनिस्ट्री ऑफ ट्यूरिजम गर्वन्मेंट ऑफ इण्डियासे लाकर पेश नहीं किया है। प्रार्थी का होटल जो 4 सितारा श्रेणी का था, मौका निरीक्षण से यथावत पाया गया उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं पाया गया। इस कारण स्टार श्रेणी के लिए दिनांक 11.6.2012 के बाद आवेदन नहीं करने से यह नहीं माना जा सकता कि प्रार्थी का होटल 4 सितारा होटल के मापदण्डों में खरा नहीं उतरता हो। प्रार्थी ने एक तरफ तो यह कहा है कि दिनांक 11.6.2012 के पश्चात उसका होटल किसी भी श्रेणी का नहीं रहा जबकि वर्ष 2014–15 के आबकारी लाईसेंस हेतु प्रार्थी ने रू0 8.00 लाख लाईसेंस शुल्क के

1-10-2015 , ३६१४

लगातार.........5

एवं 5,000/–स्पेशल वेण्ड फीस के जमा कराये जो फीस 3 सितारा होटल की थी। अतः जब प्रार्थी यह मानता है कि उसका होटल किसी भी श्रेणी का नहीं है तो उसने अपने–आप होटल को 3 सितारा श्रेणी का कैसे माना तथा 3 सितारा श्रेणी होटल के लिए नियत आबकारी लाईसेंस फीस उसने क्यों जमा कराई जबकि बिना सितारा होटल के लिए लाईसेंस फीस के रू0 7.50 लाख व स्पेशल वेण्ड फीस के रू0 50,000/– फीस ही नियत थी। इस प्रकार उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है कि दिनांक 12.6.2007 से 11.6.2012 तक प्रार्थी का होटल 4 सितारा श्रेणी का था उसके बाद भी निरीक्षण से पाया गया कि होटल जैसा पूर्व में था वैसा ही दिनांक 11.6.2012 के बाद में था दिनांक 11.6.2012 के बाद होटल में किसी प्रकार की तब्दीली नहीं हुई। इस कारण मात्र 4 सितारा श्रेणी का होने बाबत कारण प्रार्थी द्वारा इन्टरनेट पर नहीं देने या दिनांक 11.6.2012 के बाद 4 सितारा श्रेणी होटल होने बाबत मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं करने के कारण यह नहीं माना जा सकता है कि प्रार्थी के होटल में 4 सितारा श्रेणी होटल के लिए नियत आधार भूत सुविधाए नहीं रह गई हो या उनमें कोई कमी आयी हो। इस कारण प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से पेश न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य इस प्रकरण के तथ्य से भिन्न होने के कारण उसका फायदा प्रार्थी निगरानीकर्ता को नहीं मिलता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.02.2015 में कोई त्रुटि नजर नहीं आने से उक्त आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

1-10-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष